कार्यालय– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::परिपत्र::

गैर सरकारी संस्थाएं/एजेन्सी/कोचिंग सेन्टर द्वारा विद्यार्थियों के लिए स्कूल सलेबस सम्बन्धी ऑनलाईन शिक्षण सामग्री ऑनलाईन माध्यमों एवं ऐप के माध्यम से बिना शासकीय अनुमति एवं सामग्री के अनुमोदन के विभागीय अधिकारियों की भागीदारी दिखाकर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने का प्रचार–प्रसार विभिन्न समाचार माध्यमों से कर रहें हैं। ऐसी एजेन्सियों के कार्यक्रमों में विभागीय अधिकारियों का बिना सक्षम स्वीकृति के भाग लेना तथा ऑनलाईन कक्षा–शिक्षण को अनुशंषित करना विभागीय आचरण नियमों के प्रतिकूल है।

विभाग के ध्यान में आया है कि जोधपुर स्थित **"उत्कर्ष (Utkarsh)"** नामक गैर सरकारी इन्सटीट्यूट ने बिना विभागीय अनुमति के ऐसे ही "ऑनलाईन स्कूल" नामक कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के विज्ञापन विभिन्न समाचार माध्यमों द्वारा प्रचारित–प्रसारित किये हैं। इस उल्लेखित ऑनलाईन शिक्षण सामग्री को विभाग के साथ ना ही साझा किया गया और ना कोई अनुमोदन लिया गया।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया जाता है कि **"उत्कर्ष (Utkarsh)" अथवा ऐसी किसी अन्य गैर सरकारी संस्था को सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में ऑनलाईन शिक्षण संचालन हेतु अधिकृत नहीं किया गया है**, उनके द्वारा उल्लेखित ऑनलाईन शिक्षण सामग्री विभााग द्वारा अनुमोदित नहीं है।

अतः विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को संबंधित संस्था प्रधान एवं शिक्षकों द्वारा इस संबंध में समुचित रूप से अवगत कराया जाना अपेक्षित है। उपर्युक्त संदर्भ में समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ना तो ऐसे कार्यक्रमों में बिना सक्षम स्वीकृति भाग लेंवे, इससे संबंधित कोई सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से मैसेज फॉरवर्ड करें तथा ना ही समुचित जानकारी के बिना ऐसी गतिविधियों में संलग्नता रखें।

उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

www.rajteachers.com

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/मा–द/ई–कक्षा/2020–21/

दिनांकः22/09/2020

प्रतिलिपि :निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
7. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)– माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर